



2026:AHC: 58443

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4511/2026

अनीता

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: ज्ञान प्रकाश, मूल चंद मौर्य

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: राजेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता

#### न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1- राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र और आवेदिका द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया।

2- आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञान प्रकाश, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।

4- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदिका को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना निधौली कलां, जिला एटा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 232 वर्ष 2024, बी.एन.एस., 2023 की धारा 85, 80 (2), 238 (बी), 61(2) और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

5- आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदिका मृतका की सास है और झूठे अभिकथन के आधार पर उसे वर्तमान वाद में अभियुक्त बनाया गया है।

6- उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि, वास्तव में मृतका 04.08.2024 को अपने ससुराल से लापता हो गई थी और अगले दिन यानी 05.08.2024 को उसके पति यानी आवेदिका के बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और 31.10.2024 को यानी ढाई माह से अधिक समय के बाद सूचनादाता ने वर्तमान वाद में एफ.आई.आर. दर्ज कराई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7- उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि, अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि 05.08.2024 को आवेदिका की बहू का शव जिला फिरोजाबाद से बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह परिलक्षित होता है कि उसकी मृत्यु फाँसी लगाने के कारण हुई।

8- उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो, यह सुझाव दे सके कि आवेदिका किसी भी तरह से अपनी बहू के लापता होने या उसकी मृत्यु में शामिल थी और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह परिलक्षित होता है कि उसने आत्महत्या किया है।

9- उन्होंने आगे तर्क दिया कि, आवेदिका एक महिला है और उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान वाद में, वह 22.08.2025 से यानी पिछले लगभग आठ माह से कारागार में है।

10- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

11- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया है।

12- यद्यपि, आवेदिका मृतका की सास है और उसकी बहू की शादी के एक माह बाद ही असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और दहेज की मांग के संबंध में यातना का भी अभिकथन है, लेकिन अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि 05.08.2024 को मृतका के पति यानी आवेदिका के बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 04.08.2024 को मृतका अचानक अपने ससुराल से लापता हो गई और ढाई माह बाद वर्तमान वाद में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

13- आगे अभिलेख यह भी सुझाव देता है कि 05.08.2024 को दूसरे जिले में मृतका का शव बरामद किया गया था और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह परिलक्षित होता है कि उसकी मृत्यु फाँसी लगाने से हुई।

14- इसके अलावा, आवेदिका एक महिला है और उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह पिछले लगभग आठ माह से कारागार में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15- इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदिका जमानत पर रिहा होने की हकदार है।

16- तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

17- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक- **अनीता** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदिका नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(iii) आवेदिका किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगी।

18- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदिका की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20 मार्च, 2026

आशीष/-

(न्यायमूर्ति समीर जैन)